

प्रश्न सं. [क. 2271]

परिशिष्ट-01

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.
विधान सभा प्रश्न क्रं 2271 के प्रश्नांश 'क' की जानकारी

वन विकास निगम	रोपण वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	वोट का नाम	कक्ष क्र.	रोपण क्षेत्रफल (हे.मै.)	रोपित पोधा संख्या	जीवित पोधा संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विदेशी-रायसेन परियोजना मण्डल, भोपाल	2019	दक्षिण लटेरी	खरखेड़ी खुर्द	P-314	115.000	287500	115000	गणना वर्ष 2024 के आधार पर
			समरी अहीर	P-322	72.000	180000	144000	
			झुकरजागी	P-336	60.000	150000	121800	
			समरी अहीर	P-320	50.000	125000	100000	
			झुकरजागी	P-334 A	38.000	95000	78375	
			खरखेड़ी खुर्द	P-318	120.000	300000	243000	
			छिरारी	P-472	40.000	100000	80150	
			छिरारी	P-473	40.000	100000	81100	
			समरी अहीर	P-322	40.000	100000	80000	
			समरी अहीर	P-312	60.000	150000	120030	
			झुकरजागी	P-333	60.000	150000	120000	
		उत्तर लटेरी	आलमपुर	P-360	40.000	100000	0	
			खलीलपुर	P-361	30.000	75000	0	
			खलीलपुर	P-362	40.000	100000	0	
			खलीलपुर	P-470	50.000	125000	60000	
			आलमपुर	P-351	25.000	62500	48750	
	2020	दक्षिण लटेरी	वडागाँव	P-345	61.000	152500	123251	गणना वर्ष 2024 के आधार पर
			आर.डी.एफ.	P-298	50.000	76000	40098	गणना वर्ष 2021 के आधार पर
			आर.डी.एफ.	P-301	75.000	112500	87750	वन विभाग को वर्ष 2024 में हस्तांतरित किया गया
		उत्तर लटेरी	आर.डी.एफ.	P-300	75.000	112500	25718	
			आर.डी.एफ.	P-302	50.000	76000	64220	
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-
		योग			1191.000	2729500	1733242	

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष-2)
वल्लभ भवन, भोपाल

(समीर माथुर)
महाप्रबंधक (सम्पत्ति/समन्वय)
एवं समन्वय अधिकारी (वि.स.)

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.
विधान सभा प्रश्न क्रं 2271 के प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

राशि रू. (लाख में)

वन विकास निगम	रोपण वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	वोट का नाम	कक्ष क्र.	रोपित पौधा संख्या	पौधा रोपण पर व्यय	संस्था को भुगतान राशि	श्रमिकों को भुगतान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विदिशा-रायसेन परियोजना मण्डल, भोपाल	2019	दक्षिण लटेरी	खेरखेड़ी खुर्द	P-314	287500	17.80	0.00	17.80
			सेमरी अहीर	P-322	180000	11.14	0.00	11.14
			झुकरजोगी	P-336	150000	9.29	0.00	9.29
			सेमरी अहीर	P-320	125000	7.74	0.00	7.74
			झुकरजोगी	P-334 A	95000	5.88	0.00	5.88
			खेरखेड़ी खुर्द	P-318	300000	18.57	0.00	18.57
			छिरारी	P-472	100000	6.19	0.00	6.19
			छिरारी	P-473	100000	6.19	0.00	6.19
			सेमरी अहीर	P-322	100000	6.19	0.00	6.19
			सेमरी अहीर	P-312	150000	9.29	0.00	9.29
			झुकरजोगी	P-333	150000	9.29	0.00	9.29
		उत्तर लटेरी	आलमपुर	P-360	100000	6.19	0.00	6.19
			खलीलपुर	P-361	75000	4.64	0.00	4.64
			खलीलपुर	P-362	100000	6.19	0.00	6.19
			खलीलपुर	P-470	125000	7.74	0.00	7.74
			आलमपुर	P-351	62500	3.87	0.00	3.87
	2020	दक्षिण लटेरी	बड़ागांव	P-345	152500	9.49	0.00	9.49
			आर.डी.एफ.	P-298	76000	6.79	0.00	6.79
			आर.डी.एफ.	P-301	112500	10.05	0.00	10.05
		उत्तर लटेरी	आर.डी.एफ.	P-300	112500	10.05	0.00	10.05
			आर.डी.एफ.	P-302	76000	6.79	0.00	6.79
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-
		योग			2729500	179.37	0.00	179.37

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष-2)
वल्लभ भवन, भोपाल

(समीर माथुर)
महाप्रबंधक (सम्पत्ति/समन्वय)
एवं समन्वय अधिकारी (वि.स.)

पंच. नर, पंचम तम, मानवाय नगर, भोपाल

प्र. सं. नं. महा प्र. 00 नि. 03: 3434

प्रति:

दिनांक : 3.10.23

(11)

समस्त मण्डल प्रबंधक,

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि०

विषय:

वृक्षारोपणों की सफलता सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महोदय,

विविधतापूर्ण सिंचित एवं असिंचित सागौन वृक्षारोपणों में जीवित एवं वृद्धि मानकों का निर्धारण मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 10.05.99 द्वारा किया गया था ।

दिनांक 5 एवं 6-सितम्बर को आयोजित हंदीच जाँचकारियों की बैठक में वृक्षारोपणों के जीवित प्रतिशत एवं वृद्धि मानकों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त मुख्यालय के पत्र क्रमांक 510 दिनांक 25.10.02 द्वारा वर्ष 1999 से 2001 तक के वृक्षारोपणों में भूखण्डन कार्य में पाये गये वास्तविक आँकड़ों के आधार पर जीवित प्रतिशत एवं वृद्धि मानकों का पुनरीक्षण करने हेतु समिति का गठन किया गया था । समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय में दिनांक 22.11.02 को प्रस्तुत की एवं दिनांक 06.08.03 समिति द्वारा अनुमोदित जीवित प्रतिशत एवं वृद्धि मानक मान्य किये जाते हैं । अतः मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1115 दिनांक 10.05.99 द्वारा लिये गये जीवित प्रतिशत एवं मानक वृद्धि के आँकड़े निरस्त समझे जावे । बाकी निर्देश सथावत रहेंगे । समिति द्वारा अनुमोदित तथा मान्य सिंचित / असिंचित वृक्षारोपणों के लिये निम्नानुसार मानक प्रथम पाँच वर्गों हेतु निर्धारित किये जाते हैं :-

वर्ग	सिंचित रोपण			असिंचित रोपण		
	औसत ऊँचाई मीटर में	औसत गोलाई से.मी.	जीवित प्रतिशत	औसत ऊँचाई मीटर में	औसत गोलाई से.मी.	जीवित प्रतिशत
1.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
प्रथम	1.25	8	90	0.30	3	80
द्वितीय	2.50	12	90	0.90	5	80
तृतीय	4.50	16	90	1.80	8	80
चतुर्थ	6.00	20	90	2.50	11	80
पंचम	8.00	25	90	3.10	15	80

सिंचित एवं असिंचित सागौन रोपण की सफलता निर्धारित मानक अनुसार एवं जीवित प्रतिशत आने पर ही मान्य की जावेगी ।

अनुवाद,

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष-2)
वल्लभ भवन, भोपाल

भवदीय,
म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि०